Demand for special scheme for the development of Tea industry and its workers in Darjeeling and other parts of the country

श्री समन पाठक (पश्चिमी बंगाल): महोदय, आज अन्तर्राष्ट्रीय चाय दिवस के अवसर पर मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान चाय उद्योग के संकट और चाय श्रमिकों की समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। महोदय, चाय उद्योग एवं चाय श्रमिकों की स्थिति पूरे देश में शोचनीय है। आज देश के कई चाय बागान बंद पड़े हैं और कई बंद होने की स्थिति में हैं। आज चाय का उत्पादन एवं उसकी गुणवत्ता तेजी से घट रही है, जिसके चलते चाय बागानों पर निर्भर सभी लोगों को आर्थिक व सामाजिक समस्या से गुजरना पड़ रहा है। बागान बंद होने के कारण बहुत सारे कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार चाय उद्योग को बचाने के लिए मास्टर प्लान बनाए, ताकि रुग्ण और बंद बागानों को संकट से मुक्त किया जा सके और विदेशों में मार्केटिंग के लिए भी सरकार को आगे आना होगा और ज्यादा से ज्यादा चाय का निर्यात चाय नीलामी केन्द्रों से हो, सरकार इसको भी सुनिश्चित करे।

महोदय, मैं इस अवसर पर सरकार का ध्यान दार्जिलिंग की ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा। दार्जिलिंग तीन Ts के लिए प्रसिद्ध है। Tea, Tourism and Timber दार्जिलिंग का मूल आर्थिक आधार चाय है, लेकिन यहां के चाय श्रमिकों की हालत बहुत ही नाजुक है। यहां कई बागान बंद पड़े हैं और कई बंद होने की स्थिति में हैं। रिङ्टङ; सिपाईधरा, चुङ्थुङ जैसे अच्छे बागान भी इसी स्थिति से गुजर रहे हैं। पूरे देश में, विश्व बाजार में, आज चाय का संकट है, लेकिन जहां तक दार्जिलिंग का सवाल है? अभी भी विश्व बाजार में इसकी अच्छी स्थिति है। लेकिन यहां भी संकट के नाम पर कई बागानों के मालिकों ने राशन, चिकित्सा, पेयजल, आवास जैसी बुनियादी सुविधाओं से मजदूरों को वंचित रखा है। महोदय, चाय दिवस के अवसर पर केन्द्र सरकार विश्व के सबसे श्रेष्ठ चाय का उत्पादन करने वाले जिले दार्जिलिंग के श्रमिकों के लिए एवं चाय उद्योग के संबंध में किसी अच्छी योजना की घोषणा करें, ताकि यहां के श्रमिकों का एवं चाय उद्योग का भविष्य सुनिश्चित हो।

Demand for use of Hindi in Central Government Offices, PSUs, Banks, etc.

प्रो॰ राम देव भंडारी (बिहार): महोदय, आजादी के 60 वर्ष बाद भी केन्द्र सरकार के मंत्रालयों और अधीनस्थ कार्यालयों में हिन्दी भाषा, जो देश की राजभाषा है, सरकारी कामकाज इसमें नहीं हो रहा है। महोदय, 1963 में राजभाषा अधिनियम बना तथा 1976 में नियम बनें, जिसके आलोक में संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ। गृह मंत्री महोदय की अध्यक्षता में 30 सांसदों की यह समिति केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के कार्यों का निरीक्षण करती है तथा उनका मार्गदर्शन करती है। संसदीय राजभाषा समिति में अपने अनुभव के आधार पर मेरा यह मानना है कि देश के